न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **247/14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00059

1. श्रीमती रूपाबाई पुत्री हेमराज पत्नी मोहन लाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली हाल चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्रीमती नारायणीबाई पुत्री हेमराज पत्नी कुकालाल पुरोहित निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली हाल माणक्यावास तहसील मावली। (विड्रो)
3. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री हेमराज पत्नी पुरूषोत्तम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली हाल चन्देसरा तहसील मावली। (विड्रो)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भंवरलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

1/1 श्री बंशीलाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

2. श्री कालुलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

2/1 श्री धर्मनारायण पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

3. श्री अमृतलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

3/1 श्री रमेशचन्द्र पिता अमृतलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4. श्री हरिराम पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/1 श्री प्रेमशंकर पिता हरिराम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/2 श्री केसुलाल पिता हरिराम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णो की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/3 श्रीमती टमुबाई पुत्री हरिराम पत्नी धर्मनारायण ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा नउवा तहसील मावली।

5. श्री लक्ष्मीलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी संख्या 1

2. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.04.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 38, 260, 261, 1268, 1285, 1337, 1338, 2107, 2650, 2655, 4472/243, 4474/243, 4475/251, 4482/1336, 4484/1336, 4486/2106 किता 16 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर हि.ब. अनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 298, 2106, 4479/1277, 4485/2103, 4534/1339, 4535/1378 किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजीयात 257 रकबा 3 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से अंकित हैं।
2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

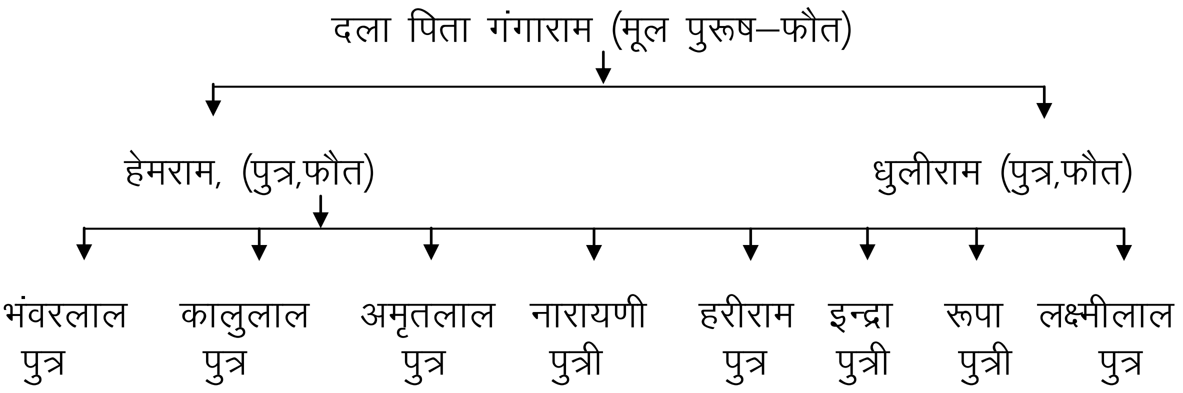

उक्त सजरे अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष दला पिता गंगाराम जी थे जिनके दो पुत्र हेमराज एवं धुलीराम हुए। दोनो पुत्रो हेमराज, धुलीराम का निधन हो चुका है जिसमें हेमराज जी के वारिस भंवरलाल, कालुलाल, अमृतलाल, नारायणीबाई (वादी संख्या 2), हरीराम, इन्द्राबाई (वादी सं. 3), रूपाबाई (वादी सं. 3), लक्ष्मीलाल हैं।

3. यह कि परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात के सेटलमेन्ट पूर्व के नम्बर 1478, 1489, 1487/2, 1503, 1532, [illegible], 1554, 1541, 4542, 1543, 1555,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

1575, 1679, 1634, 689, 689, 693, 1560, 1578/2, 1579, 1582, 1585, 1592, 1599, 1502, 687 है जो सम्वत् 2023 से 2025 की राजस्व जमाबन्दी में हम वादीगण दादा श्री दला पिता गंगाराम जी के नाम पर दर्ज थी तथा दला जी के मरने के बाद विरासत से उनके दोनो पुत्र हेमराज जी एवं धुलीराम जी के नाम पर विरासत से दर्ज हुई थी जो हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पैतृक सम्पति है और जिसमें हम वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और हम वादीगण वाद पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित भूमि में 3/8 हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने हमारे पिता श्री हेमराज जी के निधनोपरानत खुलने वाले विरासत के नामान्तरकरण के समय राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर हम वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय हेमराज जी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपनी मनमुताबिक अपने नाम दर्ज करा दी अर्थात परिशिष्ट क की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम, परिशिष्ठ ख की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं परिशिष्ट ग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम पर अंकन करवा दी जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है और राजस्व अधिकारियों ने भी स्व. हेमराज जी के सभी वारिसानों की कोई जांच नहीं की। जबकि हम वादीगण का भी स्व. हेमराज जी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में नाम दर्ज होना चाहिए था क्योंकि हम वादीगण स्व. हेमराज जी की जायन्दा पुत्रीयां होकर उनकी विधिक वारिस है इसलिए हम वादीगण वाद के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात जो हमारी पैतृक कृषि भूमि है उसमें हिस्सेनुसार अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने की अधिकारी है इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

4. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात हम वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें हम वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा हम वादीगण हमारी उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि में हमारे हक हिस्से भूमि पर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करती आ रही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने हम वादीगण को हमारी पैतृक कृषि भूमि [illegible] करने की नियत से हमारा नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपनी इच्छानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपने नाम पर अंकित करवा दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। वर्तमान में हम वादीगण के हिस्से की जमीन हमारे नाम पर दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हम वादीगण को हमारे कब्जे हिस्से की जमीन से जोर जबदस्ती ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने की निरन्तर धमकीयां दे रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वाद पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हम वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, हम वादीगण को हमारी पैतृक कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे, हम वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करे, हम वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, हम वादीगण को हमारी पैतृक कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे, हम वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करे, हम वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं होगी। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को जो अशोधनीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 09.10.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने हम वादीगण को उक्त पैतृक कृषि भूमि में हमारे हक हिस्से की जमीन हमारे नाम पर कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये और हमारे कब्जे काश्त की जमीन में अनाधिकार रूप से कब्जा करने का प्रयास किया और समझाने पर भी नहीं माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निर[illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

6. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात में जो हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है उसमें हम वादीगण प्रत्येक को 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे। हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वाद पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को बेदखल नहीं करे, वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करे, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वादगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं। हम प्रतिवादीगण हमारे नाम पर अंकित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त नहीं हूवे है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 में लागू हुआ था और वर्तमान में वादी संख्या 1 की आयु 65 वर्ष एवं वादी संख्या 2 की आयु 80 वर्ष, वादी संख्या 3 की आयु 70 वर्ष से भी अधिक की है जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वादीगण के जन्म के पश्चात् लागु हुआ है ऐसी अवस्था में इस कृषि भूमि में वादीगण को जन्म से हक व अधिकार मिलने का कथन स्वयमेव निराधार हैं। हम प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत नहीं की गई है और न ही गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में हमारा नाम अंकन कराया हैं। स्व. हेमराज जी के मरणोपरान्त विरासत का नामान्तरकरण विधिवत तरीके से हम प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अधिकारियों ने खोला है और उसे स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

किया है जिससे हमारे नाम भूमि दर्ज हुई है जिसे आज काफी समय बीत चुका है। वादीगण तीनो ही विवाहीत है और अपने–अपने ससुराल में आबाद होकर अपने–अपने परिवारों के साथ सुखपूर्वक जीवनयापन कर रही है और इनके पुत्र–पुत्रीयों के विवाह में हम प्रतिवादीगण ने ही मायरा भरा जिसमें लाखो रूपये खर्च हुए है। इस प्रकार वादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम किसी भी सूरत में अंकन कराने की अधिकारीणी नहीं हैं।

8. यह कि वादीगण का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है और न ही सुविधा संतुलन वादीगण के पक्ष में है। हम वादीगण हमारे नाम पर अंकित भूमि जो हमे हमारे पिता से विरासत में मिली है उस पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और उसके किसी भूभाग पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। वादीगण अपने–अपने ससुरालो में रहते है और अपने परिवारजनों के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रही है और अपने परिवारजनों के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रही है और अपने पति की सम्पतियों का उपभोग कर रही हैं। इस प्रकार जब वादीगण का हमारे नाम दर्ज भूमि के किसी भू भाग पर कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है तो उसे बेदखल करने का सवाल अपने आपमें मिथ्या एवं गलत हैं। वादीगण हमारे विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नहीं है क्योंकि हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है और कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है यदि हमारे विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो हमे हमारी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने में दिक्कत आयेगा और हम हमारी खाते की जमीन से महरूम हो जायेगे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से वादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नहीं हैं।

9. वादीगण को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 09.10.2024 को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वादीगण ने महज वाद पेश करने की नियत से मिथ्या वाद कारण अंकित किया है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 4/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

11. प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।
    1. आया वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति होने से वादीगण प्रत्येक अपने नाम पर 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी हक से घोषणा कराने के अधिकारी है। .... जिम्मे वादीगण
    2. आया वादीगण का जन्म 1956 से पूर्व होने से वादग्रस्त आराजीयात में अपना हिस्सा घोषित कराये जाने के अधिकारी नही है। .... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 5

12. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती रूपाबाई, पीडब्ल्यू 2 श्री भंवरलाल, पीडब्ल्यू 3 की चुन्नीलाल के पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

13. प्रकरण में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (आपसी राजीनामा) का पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार सदस्य होकर भाई बहिन का सम्बन्ध है जिससे उपरोक्त अनवान मुकदमा में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है और हमें मौतबीरों ने आपस में समझा दिया हैं। यह कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार हुआ है कि वाद पत्र के परिशिष्ट क में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा पैतृक सम्पति है जिसमें वादी संख्या 1 का भी हक हिस्सा निहित है इसलिए आपसी राजीनामा अनुसार परिशिष्ट क में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्से के 1/8 वें हिस्सा का वादी संख्या 1 को सहखातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और हिस्सेनुसार वादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराया जावें। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी को डिक्री फरमाया जावें।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये [illegible] निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

15. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि ग्राम गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 38, 260, 261, 1268, 1285, 1337, 1338, 2107, 2650, 2655, 4472/243, 4474/243, 4475/251, 4482/1336, 4484/1336, 4486/2106 किता 16 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौरूस दला पिता गंगाराम के नाम दर्ज हुई थी। दला पिता गंगाराम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हेमराज एवं धूलीराम में निहित हुई। हेमराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रो के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी संख्या 1 भी हेमराज की प्रथम श्रेणी की वारिस थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी संख्या 1 का नाम दर्ज नही किया गया। जबकि वादी संख्या 1 का नाम भी अपने पिता की भूमि में दर्ज होना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 4/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 5 एवं वादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. प्रस्तुत कर वाद पत्र में परिशिष्ट क की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया तथा इसी राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वाद पत्र की परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी। परन्तु इनके मौरूस के निधन के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण का नाम अंकित नही किया गया। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण भाई बहन है। वादी संख्या 2 व 3 द्वारा पूर्व में वाद विड्रो कर लिया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार कर वादी संख्या 1 के हिस्से तक वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी संख्या 1 के हिस्से तक आंशिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 38, 260, 261, 1268, 1285, 1337, 1338, 2107, 2650, 2655, 4472/243, 4474/243, 4475/251, 4482/1336, 4484/1336, 4486/2106 किता 16 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय वादी संख्या 1 रूपाबाई पुत्री हेमराज पत्नी मोहन ब्राहम्ण को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 7/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम यथावत रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती रूपाबाई पुत्री हेमराज पत्नी मोहन ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली हाल चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्रीमती नारायणीबाई पुत्री हेमराज पत्नी कुकालाल पुरोहित निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली हाल माणक्यावास तहसील मावली। (विड्रो)
3. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री हेमराज पत्नी पुरूषोत्तम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गगुडली हाल चन्देसरा तहसील मावली। (विड्रो)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भंवरलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

1/1 श्री बंशीलाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

2. श्री कालुलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

2/1 श्री धर्मनारायण पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

3. श्री अमृतलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली। मृतक

3/1 श्री रमेशचन्द्र पिता अमृतलाल ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4. श्री हरिराम पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/1 श्री प्रेमशंकर पिता हरिराम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/2 श्री केसुलाल पिता हरिराम ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णो की बावडी गुडली तहसील मावली।

4/3 श्रीमती टमुबाई पुत्री हरिराम पत्नी धर्मनारायण ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा नउवा तहसील मावली।

5. श्री लक्ष्मीलाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की बावडी गुडली तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 247/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00059

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी संख्या 1 के हिस्से तक आंशिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 38, 260, 261, 1268, 1285, 1337, 1338, 2107, 2650, 2655, 4472/243, 4474/243, 4475/251, 4482/1336, 4484/1336, 4486/2106 किता 16 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय वादी संख्या 1 रूपाबाई पुत्री हेमराज पत्नी मोहन ब्राहम्ण को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 7/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested